

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकॉम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील की ओर से वीक
हॉल्डर अधिवक्ता श्री आनंदशम पूतड़ उपस्थित।
प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वाले पत्रना
पर के जवाब व बहस हेतु अधिवक्ता दिनांक 08/09/2025
को पेश हो।

08/09/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विषय
कार्यों में व्यस्त हैं, मिसल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आवेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10/09/25
को पेश हो।

10/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपसकरान उपरी वादी वकील
द्वारा प्रस्तुत पत्रना पर वाले विभाजन प्रस्ताव पर आपसे
प्रस्तुत करने एवं न्याय की उम्मीद नहीं होने से सुनवाई
संबन्धित करने पर वकील अभयपसकरान की प्रक में बहस
सुनी गई एवं आज पुनः बहस सुनी गई। बहस में वादी
वकील ने कथन किया कि उपरोक्त अनवान डा राजलव वाद
दिनांक 18/06/18 को न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर
उर लम्बी जानी की गई थी जिसमें दिनांक 06/09/2019 को
सम्पन्न समील होने के बावजूद लगातार 39 पेशी लारीशव
करीब साठे तीन साल तक जवाब नहीं देकर प्रकरण को
अनावश्यक विलम्ब करते रहे, सत्यवचाल दिनांक 07/11/22 को
प्रारम्भित डिफ्री जारी उर विभाजन प्रस्ताव लक्ष्मीतदार सेइवा
से भंगवाने का आदेश पारित होने के बावजूद भी लम्बे
समय तक प्रतिवादीगण के धनबल के उभाव से लक्ष्मीतदार
ने विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तदुपरान्त दिनांक
30/05/25 को लक्ष्मीतदार सेइवा व श्री अमिलेख ने अप
न्यायालय में बँडर बिना माँगा जाने डिफ्री प्रतिवादीगण से
साठ-गाठ करके डिफ्री अनुसार विभाजन तैयार नहीं
उरडे प्रतिवादीगण को अनुमित लाभ पहुँचाने की नीयत से
आधा - अधूरा विभाजन प्रस्ताव भेजा गया जिस पर वादीगण

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

द्वारा आपसे उल्लुह करने पर पुनः विभाजन उत्पन्न भंगवाने
आ आयालय द्वारा आदेश पारित किये गये उपनवठ अधिकारी
लेखा के पत्र क्रमांक: राजत्व/2025/388 दिनांक 26.06.25
को स्वयं द्वारा दिनांक 30.06.25 को प्रातः 10.30 AM पर
शीमान 10AM बाउमेर के निर्देशानुसार विभाजन उत्पन्न
अर्थात् करने हेतु तहसीलदार लेखा को लिखा गया था
परन्तु आप व तहसीलदार लेखा द्वारा भी उक्त दिनांक
30.06.25 को किसी भी प्रकार से मौका जोच कर विभाजन
उत्पन्न तैयार नहीं किया तथा उक्त आयालय में विभाजन
उत्पन्न में अतिरिक्त जिला क्लर्क को सूचना में किसी प्रकार
आ आदेश व निर्देश देने का विधि अधिकार नहीं होने के
बावजूद गलत व अवैध निर्देशों की पाठना करने हेतु आप
द्वारा अपने आयालय से उत्पन्न आदेश के प्रभाव में आकर
आदेश दिये गये जबकि आयालय में विभाजन उत्पन्न
में उक्त राजत्व अपील अधिकारी तथा माननीय राजत्व
मण्डल को ही विधि अनुसार आदेश व निर्देश देने की
अधिकारिता है। दिनांक 29.06.25 को दैनिक अखबार में भी
प्राप्तिकरण के विभाजन हेतु सूचना नोटिस विधि अनुसार
जबकि तामीली अर्थात् नहीं करके अखबार में सूचना
नोटिस उच्चगित किये गये जो विधि अनुसार गलत व अवैध
थे, तथा उक्त अखबार में नोटिस छाया करने का शक्ति
की भूभागियों द्वारा कल किया गया तथा उक्त नोटिस में
अतिरिक्त कि को भी विभाजन उत्पन्न बाबत कोई अर्थात्
सम्पादित नहीं की गई। तहसीलदार लेखा द्वारा उत्पन्न
से लाठ-गोट करके दिनांक 03.07.25 को विभाजन उत्पन्न
की तामीय नीयत करके बनेक विधिवत बाई मीर्य प्रकाश
विभाजन अर्थात् सम्पादित किये दिनांक 04.07.25 को
शत 7.30 PM पर तहसीलदार लेखा के अखबार में बन्द
उत्पन्न अगाराम, पुष्पाराम, अगाराम का पुनः शपथ, तहसीलदार

नाम तहसीलदार
अधिकारी

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकीम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नामक तहसीलदार व नू अलिख्व निरीसड ने अपनी मनमर्जी से
उत्पिदागीण के दबाव व उभाव में आकर विवादित खसरा
सं. ५५५ में उत्पिदागीण के हिस्से में आने वाली भूमि को
उशाब मार्ग से जुड़ा हुआ होने के बावजूद वादीगीण के हिस्से
की भूमि के दो डुब्बों में विभाजित करके २० फीट चौड़ा रास्ता
दने बाबत विभाजन उत्प्लाव तैयार किया गया जबकि राजस्व
विभाग व भागनीय राजस्व मण्डल के परिपत्र अनुसार किसी
कार्रकार का विभाजन करते समय रास्ता देते वस्तु भूमि
दो हिस्सों में नहीं बांटेने के आदेश होने के बावजूद विधि की
घोर अपेक्षना करते हुए उत्पिदागीण को अनुचित लाभ
पहुंचाने के लिये गलत विभाजन उत्प्लाव तैयार किया गया
जो नियम २० का घोर उल्लंघन है तथा वादीगीण के हिस्से की
भूमि खसरा सं. ५५५ से ५६० में जोत ले जोत आने जाने के
विभाजन उत्प्लाव में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है
उक्त उक्त आदेशित किसी अनुसार विभाजन उत्प्लाव तैयार
करके वस्तु बाई मीटर १ बाउछ अर्थात् सम्पूर्ण विवादित भूमि में
नाप-लेन कर कुब्जा - काय अनुसार नियम १७ से २२ तक
की आबापड अवधानों की पालना करते हुए विभाजन उत्प्लाव
तैयार किया जाना चाहिए या जबकि इत्तगत विभाजन
विधि की अनदेखी कर अमलिय में उमरे के सामने लाइव
टेलीकास्ट में स्पष्ट विवरण दे रहा कि उत्पिदागीण के दबाव
में अवैध रूप से तैयार किया गया है जो अस्वीकार किया
जाकर पुनः विभाजन उत्प्लाव निष्पन्न राजस्व अधिकारियों
से भंगवाया जाना उचित व न्याय के लिये है इत्तगत वाद
में उत्पिदागीण के अनुचित दबाव व उभाव से बार-बार
अमलिय में बाँटकर विभाजन उत्प्लाव अमलिय में भेजकर
अव्याज का विधि विरुद्ध तरीके से अखाने हेतु पीगसीन
अधिकारी से दबाव बनाया जा रहा है तथा अतिरिक्त
जिसा इलुम्टर बाइमेर द्वारा राजस्व वाद में विधि विरुद्ध
तरीके से इत्तफेय करने पर वादीगीण द्वारा शीमान

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

जिला कुलम्बर बाइमेर के सम्बन्ध एक विधिवत प्रार्थना पत्र पत्रावली अल्प राजस्व न्यायालय में लक्ष्मीनारायण करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 02/07/25 को पेश किया गया है इसलिये पत्रावली होसफर के प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अन्ततः वाद में कुनवाई स्विकृत रखा जाना विधि सम्बन्ध है तथा यदि उक्त प्रकरण में वादीगण को आपसे न्याय की उम्मीद शेष नहीं होने व उत्पिवादीगण व मोग बाइमेर के अनुचित दबाव में कार्य करने से कोई शिकायती की जाती है तो उसमें वादीगण को न्याय मिलने की सम्भावना नगण्य है जिला कुलम्बर बाइमेर में विनारायण आवेदन के निस्तारण तक कुनवाई स्विकृत करने का आदेश प्रस्तावित।

उत्पिवादी वकील उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करते सीधी बहल करना चाहता है। उत्पिवादी वकील ने बहल में कथन किया कि वादीगण वकील द्वारा न्यायालय का समय बर्बाद करने एवं वाद के निर्णय को बाधित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं पूर्व में भी अनेक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद के निर्णय को बाधित किया है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र लासीन, निराधार एवं मनगढ़ल लक्ष्यो पर आधारित होने के कारण खारिज प्रस्तावित जावे।

वकील अभयप्रसागरान की बहल पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का महत्त्वपूर्ण अध्ययन अपलोडन किया गया जिसके आधार पर उनील बोला है कि वादीगण द्वारा जो कथन किया कि अतिमिक्त जिला कुलम्बर बाइमेर द्वारा उक्त प्रकरण में निर्देश दिये जा रहे जबकि अतिमिक्त जिला कुलम्बर बाइमेर द्वारा ऐसे किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये। अतिमिक्त जिला कुलम्बर बाइमेर को उत्पिवादी पुरसवाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में इस अधिलेख को पत्र लिखा गया एवं इस अधिलेख द्वारा तदधीनकार सेना

हुक्म
को लिखा गया है
उत्पिवादी
वादीगण

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तो लिखा गया कि आप स्वयं मीठे पर जाकर विभाजन
पुल्लव लैंगर उर न्यायालय को भिजवाये। तथा
वादीगण वकील द्वारा उक्त धारणा में उचन किया
कि जिला क्लर्क बाङ्गेर के समक्ष दिनांक 02/07/25
को धारणा पत्र पत्रावली अन्य राजस्व न्यायालय में
स्थानान्तरित करने एवं हस्तगत वाद में पुनर्वाइ स्वगित
~~कर~~ करने के संबंध में पेश किया लेकिन जिला क्लर्क
बाङ्गेर से इस संबंध में ऐसा कोई पत्र
न्यायालय को नहीं लिखा कि हस्तगत वाद में पुनर्वाइ
स्वगित करी जावे। अतः वादीगण वकील द्वारा उक्त
धारणा पत्र कारखान, निराधार एवं मनगढ़त तथ्यों पर
आधारित होने के कारण एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वादीगण वकील द्वारा धारणा पत्र वाले पुनः विभाजन
पुल्लव भेगवाने का दिनांक 30/07/25 को पेश किया गया
जिसका प्रतिवादी वकील जवाब नहीं देकर सीधी बहल करना
चाहते हैं। वकील अभ्यप्रसन्नान का उक्त धारणा पत्र पर
बहल सुनी गई। वादीगण वकील ने बहल में उचन किया
कि उपरोक्त अनवान का राजस्व वाद न्यायालय में विचाराधीन
है जिसमें दिनांक 03/11/22 को धारणापत्र डिप्टी जारी कर
विभाजन पुल्लव स्थलीलदार लेखा से भेगवाने का आदेश
पासित होने पर स्थलीलदार द्वारा लम्बे समय तक विभाजन
पुल्लव लैंगर नहीं किया गया तत्पश्चात् दिनांक 30/05/25
को स्थलीलदार द्वारा भौतिक निरीक्षण त्रिमे बंगोर तालुक
में नक्कर विभाजन पुल्लव पर बंडूटे अकिल उर न्यायालय
में उचित किया गया जिस पर वादीगण द्वारा आपत्ति उल्लुत
उत्ते पर न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन पुल्लव लैंगर
करने का आदेश पासित किया गया, जिस पर स्वयं
पीगलीनी अधिकारी द्वारा पत्र अमाउत : राजस्व / 2025 /
388 दिनांक 26/04/25 को स्वयं भौता देखने हेतु दिनांक

तारीख
हुकम

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

30/06/25 को प्रातः 10:30 Am पर समय नियत किया गया परन्तु उक्त स्थिति को भी मॉडर नहीं देखा गया फिर तहसीलदार द्वारा दिनांक 03/07/25 को मॉडर सुबह 10 Am देरवने का समय निर्धारित करने के उपरान्त भी उक्त समय पर तहसीलदार सेखा मॉडर पर नहीं आये और दिनांक 04/07/25 को तहसील अमालिय में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नू अफिलेशन निरीक्षक, उल्वादी जगराम, पुसवाराम व राजेश ने आपकी कुरीतसेधि करने तहसीलदार ने उल्वादीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से रात 7:30pm पर अपनी भनमजी से लेंमार कर न्यायालय में विभाजन उल्लाव उल्लिप्त किया गया, जो विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार कर उल्लिप्त स्वारिय है। हलगत उक्त में न्यायालय द्वारा धारममैठ डिक्री व आदेश जारी कर मौजे पर कल्या-काबल व "बाई भीरल एंड बाउण्ड" विभाजन उल्लाव लेंमार करने हेतु तहसीलदार सेखा को अपेक्षित किया गया था परन्तु तहसीलदार द्वारा न्यायालय आदेश के विपरीत मॉडर जोच ठिमे बगैर तथा विभाजन उल्लाव में वादीगण २ उल्वादीगण के हिससे में उल्लावित विभाजन का मॉडर पर उिली भी उठार से प्राप एवं सीमोउन नहीं किया गया तथा ना हि मॉडर पर विभाजन उल्लाव का नम्ब्रा लेंमार कर वादीगण को दिखामा गया, जो राजत्व प्रेनुअल के नियम 18 के 21 की धोर अवहेतना एवं न्यायालय आदेश की भी धोर अवहेतना अरि उर विभाजन उल्लाव लेंमार किया गया जो विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार उर विधि अनुसार पुनः विभाजन उल्लाव प्रेगवाया जाना न्याय संगत है। तहसीलदार विभाजन उल्लाव लेंमार करते समय बिन्दो का विभाजन बिना प्राप एवं सीमोउन किया जाता है तो ऐसे विभाजन उल्लाव के आधार पर अलिप्त निर्णय एवं डिक्री पचा

हुकम या
जारी नहीं कर सकत
राजत्व मय
अम

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

जारी नहीं कर सकता है उस सम्बन्ध में माननीय
राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बेंच के निर्णय
अमृतलाल वर्गशा बनाम भगवान लाल वर्गशा 2014(1)
RAT 258 में निर्धारित किया है कि विभाजन उत्लाव
पसकारों की मौजूदगी में हथार नहीं किया तथा बिना
माप एवं सीमांकन के उत्लाव हथार किया जो नियम 18 से
21 की अपालना निकट आधार पर अंतिम निर्णय एवं
जिरी अवेध है, इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर के डबल बेंच के निर्णय गुरुमीत उर्फ गुरुमुखसिंह
वर्गशा बनाम जोगेन्द्र सिंह वर्गशा 2024(2) RAT 1197
में अतिनिर्धारित किया गया है कि उत्मेत पसकार
के हिले या विभाजन उत्लाव हथार करते समय
बिना माप एवं सीमांकन बटवाड़ा उत्लाव हथार किया गया
निकट आधार पर अंतिम जिरी पारित करना न्यायक्षेपत
नहीं तथा पुनः रिपोर्ट तलब कर जिरी पारित करने
का निर्देश दिया। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं राजस्व
मैनुअल के नियम 18 से 21 की अपालना तथा प्राथमिक
जिरी में "बाई पीएल एण्ड बाउण्ड्स" के आदेश की
अवज्ञा कर न्यायिक में बहुरा दलगत प्रकरण में
हथार विभाजन उत्लाव अस्वीकार कर पुनः विभाजन
उत्लाव अस्वीकार कर पुनः विभाजन उत्लाव हथार
करने का आदेश पारित किया जाना न्यायक्षेपत 8 विधि
क्षेपत है। मैनुअल नियम 18 से 21 की पालना करके
हुए पुनः विभाजन उत्लाव भेगवाने का आदेश प्रभाव।

अतिमादी पत्रील का बहल में कम्पन है कि वादीगण
पत्रील द्वारा पूर्व में इस प्रकार का प्राथमिक पत्र
उत्तुल कर विभाजन उत्लाव पर आपसी जगई की
निकट सम्बन्ध में न्यायालय के द्वारा सहजीविकार

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

सेडवा को स्वयं मांडे पर जाउर पुनः विभाजन
उल्लाव भिजवाने हेतु तिरवा व्हा उरते उपरान्त
नस्लीलदार (मू.अ.) सेडवा के द्वारा दिनांक 01/06/25
को लामिली हेतु वादीगण एवं उल्वादीगण को नोडिस्त
पारी कर विधिवत रूप से लामिली करवाउर दिनांक
03/03/25 को समय 10:00 AM पर मांडे पर उपस्थित
रहने हेतु फाबन्द किया गया। दिनांक 03/07/25 को
नस्लीलदार सेडवा, मू. अतिलेख निरीसड फागलिया,
मू. अतिलेख निरीसड सोनडी एवं हड्डा पशवारी
गंगालरा मांडे पर उपस्थित होउर उषमिड
डिडी व आदेश अनुसार मांडे पर कुल्ला डार
अनुसार "बडि मीरुस एण्ड बाउण्ड" विभाजन उल्लाव
तैयार किया गया। उक्त विभाजन उल्लाव में राजद्व
मन्सुजन के नियम 18 से 21 की फालना की गई।
उल्वादी वकील ने उचन किया कि वादीगण वकील
द्वारा वादपत्र में पौनिसिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार
इल्लडुआ-नाही गई उसी अनुसार नस्लीलदार
सेडवा द्वारा विभाजन उल्लाव तैयार उर भिजवाया
गया है लेकिन वादीगण वकील द्वारा उक्त वाद
में विभाजन उल्लाव पर आपकी उर निर्णय पारित
करने में विलम्ब किया जा रहा है। वादीगण वकील
द्वारा दिनांक 01/07/25 को उष्यना वाले सुनवाई हेतु
एउ अवसर देने बाबत पत्र उर निवेदन किया कि
जिला क्लर्क बाउमेर में घारा 235 ए व ड।
पत्र किया हुआ है जिसकी सुनवाई दिनांक 28/08/25
है इसलिये दिनांक 29/08/25 को वादीगण एवं उल्वादीगण
के विभाजन हेतु अंतिम निर्णय व डिडी पर उनील
आदेश पारित किया जाए है वो वादीगण बाये

हुक्म
सामय नही मांगेगा
उक्त प्राप्ति
मिड

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकॉम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

समय नहीं प्रांगेगा फिर श्री वादीगण वकील द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र उद्धृत किया गया जो शारदीय निराधार एवं मनगढ़त लब्धों पर आधारित होने के कारण अनिले स्वीकार्य फरमाया जावे।

वकील उपपक्षकारान की बहल पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उक्त प्रार्थना पत्र तथा विमानन प्रस्ताव का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया जिससे पतील होता है कि वादीगण वकील द्वारा वाद के निर्णय में पलम्ब करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र उद्धृत किये जा रहे जबकि वादीगण वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र उद्धृत कर दिनांक 29/08/25 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विमानन प्रस्ताव पर जे.एम. निर्णय एवं फिरी पर आदेश हेतु कहा है उसके उपरान्त श्री दिनांक 29/08/25 को वादीगण वकील उप. नहीं होने के कारण एक ओर पेत्री शरीख नीयत की गई।

अतः वादीगण वकील द्वारा उद्धृत प्रार्थना पत्र शारदीय, निराधार एवं मनगढ़त लब्धों पर आधारित होने के कारण एल्.द्वारा स्वीकार्य किया जात है।

वकील उपपक्षकारान की मूल वाद में विमानन प्रस्ताव पर बहल सुनी गई। जिसमें वादीगण वकील ने अस्सहमति जाहिर की एवं प्रतिवादीगण वकील ने उक्त विमानन प्रस्ताव विमानानुसार स्वीकार कर निजवाया गया। उसी अनुसार निर्णय पारित किया जावे। वकील उपपक्षकारान -

तारीख
हुकम

हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज

श्री लक्ष्मण पर मनन त्रिपा। पत्रावली एवं
विभाजन पुस्तक डा अध्ययन अवलोकन
क्रिया गया जिससे पुतीत होत है कि लक्ष्मीन्दार
सेवा द्वारा प्रेषित विभाजन पुस्तक स्वीकार
करने योग्य है। अतः निर्णय एवं डिक्री पत्र
अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली क्रिया
जात है। पत्रावली फ़ायल मुफ्त होकर दारिद्र
दफ्तर है। सरण्या से उम है

part to Reader

12/6/2019

संवासे

राजस्व वाद संख्या 35/2019
उनवान- ठाकरा वगैरा बनाम जगराम वगैरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(एसडीओ), सेड़वा
(पीठासीन अधिकारी : श्री बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :-35/2019

वाद बाबत :-राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ठाकरा पुत्र रतना 2. देरामा पुत्र रतना जातियान विश्नोई निवासीगण बांधनिया, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. जगराम पुत्र मालाराम 2. पुरखाराम पुत्र मालाराम 3. खेतू पत्नी मालाराम जातियान विश्नोई निवासीगण बांधनिया, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 4. शाखा प्रबंधक एसबीआई धोरीमन्ना। 5. शाखा प्रबंधक एसबीआई सेड़वा 6. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी धोरीमन्ना 7. तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण- वादीगण वकील - श्री मोहनलाल खिलेरी
प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के वकील- श्री बाबूलाल विश्नोई

-निर्णय :-

दिनांक:- 10.09.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 07.11.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके संदर्भ में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भूअ./2025/292 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा मौजा बांधनिया पटवार हल्का गंगासरा भूअ.नि. फागलिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 497 रकबा 32-7552 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 417 रकबा 0-1457 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 419 रकबा 0-5989 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 463 रकबा 0-0809 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 464 रकबा 16-1550 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 470 रकबा 0-8337 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 480 रकबा 3-4398 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 494 रकबा 0-2428 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 653/471 रकबा 0-4371 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील द्वारा आपत्ति



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 35/2019

उनवान- ठाकरा वगैरा बनाम जगराम वगैरा

पुनः प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक: सेडर/2025/1248 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया, जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2025/583 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा मौजा बांधनिया पटवार हल्का गंगासरा भू.अ.नि. फागलिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 497 रकबा 32-7552 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 417 रकबा 0-1457 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 419 रकबा 0-5989 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 463 रकबा 0-0809 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 464 रकबा 16-1550 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 470 रकबा 0-8337 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा संख्या 480 रकबा 3-4398 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 494 रकबा 0-2428 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 653/471 रकबा 0-4371 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल व ग्राम समावली पटवार हल्का चिचड़ासर भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र सोनड़ी के खसरा संख्या 354/244 रकबा 1-3840 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान् के अधिवक्ता ने बहस की। वकील वादीगण ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जाहिर कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण वकील ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय वाद के संलग्न पेश परिशिष्ट "अ" अनुसार तैयार किया गया है, विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री माफिक तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर राजस्व टीम सहित स्वयं जाकर तैयार किया गया है।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों व विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त मनन तथा विचारण उपरांत जाहिर होता है कि तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025 विधि संवत् रूप से तैयार किया गया। तहसीलदार द्वारा सभी



सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

कारान को सूचना के नोटिस जारी कर विधिसंवत् तामिल करवाए गए एवं मौके पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। अतः तहसीलदार सेडवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025(कार्यालय तहसीलदार सेडवा के पत्रांक/भू.अ./2025/583 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव) को वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान् के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक् से घोषित की जाती है-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	ठाकराराम देराम पि. रतना कौम विश्नोई सा. गंगासरा खातेदार	समावली	354/244	0-6920	बा.दो.	0.21	हरा
2.	जगराम पुरखाराम पि. मालाराम खेतू पत्नी मालाराम कौम विश्नोई सा. गंगासरा खातेदार	समावली	354/244	0-6920	बा.दो.	0.21	केसरिया
3.	ठाकरा पुत्र रतना 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना देरामा पुत्र रतना 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन बीसीसीबी शाखा धोरीमन्ना	बांधनिया	497	15-4161	बा.सो.		हरा
4.	जगराम पुत्र मालाराम 48100/173391 हि. कौम विश्नोई, खेतुदेवी पत्नी मालाराम 48100/173391 हि. कौम विश्नोई, पुरखा पुत्र मालाराम 77191/173391 हि. कौम विश्नोई	बांधनिया	497	17-3391	बा.सो.		केसरिया
5.	ठाकरा पुत्र रतना हि. 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक बालोतरा, देरामा पुत्र रतना हिस्सा 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	बांधनिया	419 463 464 470 480 494 06	0-5989 0-0809 8-0000 0-4100 2-5500 0-2428 11.8826	बा.अ. गै.मु. बा.अ. बा.अ. बा.सो. बा.सो.		हरा



अध्यक्ष कलक्टर (3)
(SDO) सेडवा

जगराम पुत्र माला 1/3 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, पुरखाराम पुत्र माला 1/3 हि. कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, खेतुदेवी पत्नी माला 1/3 हि. कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	बांधनिया	417	0-1457	बा.अ.	केसरिया
		470	0-4237	बा.अ.	
		653/471	0-4371	बा.अ.	
		464	8-0500	बा.अ.	
		480	0-8898	बा.सो.	
		05	9-9463		
7. खेतुदेवी पत्नी माला 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, जगराम पुत्र माला 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, ठाकरा पुत्र रतना 1/4 हि. कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन ठाकरा का हि. भूमि विकास बैंक बालोतरा, देरामा पुत्र रतना हि. 1/4 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, पुरखाराम पुत्र माला हि. 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	बांधनिया	464	0-1050	बा.अ.	रास्ता प्रयोजनार्थ

तहसीलदार सेड़वा को तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025(कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भू.अ./2025/583 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार निर्णय जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दारिजात दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

10.09.2025
(बदीनारायण आर.एस.)
सह सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
आ (RDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 35/2019

उनवान- ठाकरा वगैरा बनाम जगराम वगैरा

डिक्री व मुकदमें इत्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री बद्दीनारायण, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ठाकरा पुत्र रतना 2. देरामा पुत्र रतना जातियान विश्नोई निवासीगण बांधनिया, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. जगराम पुत्र मालाराम 2. पुरखाराम पुत्र मालाराम 3. खेतू पत्नी मालाराम जातियान विश्नोई निवासीगण बांधनिया, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 4. शाखा प्रबंधक एसबीआई धोरीमन्ना। 5. शाखा प्रबंधक एसबीआई सेड़वा 6. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी धोरीमन्ना 7. तहसीलदार सेड़वा

मुकदमा नम्बर : 35/2019

दावा बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act

ठाकरा वगैरा बनाम जगराम वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस्ताल फतई रुबरु न्यायालय बहाजरी श्री मोहनलाल खिलेरी वादीगण अधिवक्ता व श्री बाबूलाल विश्नोई प्रतिवादीगण अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025 तैयार कर उनके कार्यालय पत्रांक: भू.अ./2025/583 दिनांक 08.07.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव हेतु अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	लगान	बरंग
1	ठाकराराम देराम पि. रतना कौम विश्नोई सा. गंगासरा	समावली	354/244	0-6920	बा.दो.	0.21	हरा



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद संख्या 35/2019
उनवान- ठाकरा वगैरा बनाम जगराम वगैरा

	जगराम पुरखाराम पि. मालाराम खेतू पत्नी मालाराम कौम विश्नोई सा. गंगासरा खातेदार	समावली	354/244	0-6920	बा.दो.	0.21	केसरिया
3.	ठाकरा पुत्र रतना 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा धोरीमन्ना देरामा पुत्र रतना 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन बीसीसीबी शाखा धोरीमन्ना	बांधनिया	497	15-4161	बा.सो.		हरा
4.	जगराम पुत्र मालाराम 48100/173391 हि. कौम विश्नोई, खेतुदेवी पत्नी मालाराम 48100/173391 हि. कौम विश्नोई, पुरखा पुत्र मालाराम 77191/173391 हि. कौम विश्नोई	बांधनिया	497	17-3391	बा.सो.		केसरिया
5.	ठाकरा पुत्र रतना हि. 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक बालोतरा, देरामा पुत्र रतना हिस्सा 1/2 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	बांधनिया	419 463 464 470 480 494 06	0-5989 0-0809 8-0000 0-4100 2-5500 0-2428 11.8826	बा.अ. गै.मु. बा.अ. बा.अ. बा.सो. बा.सो.		हरा
6.	जगराम पुत्र माला 1/3 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, पुरखाराम पुत्र माला 1/3 हि. कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, खेतुदेवी पत्नी माला 1/3 हि. कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	बांधनिया	417 470 653/471 464 480 05	0-1457 0-4237 0-4371 8-0500 0-8898 9-9463	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.सो.		केसरिया
7.	खेतुदेवी पत्नी माला 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, जगराम पुत्र माला 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार, ठाकरा पुत्र रतना	बांधनिया	464	0-1050	बा.अ.		रास्ता प्रयोजनार्थ



अध्यक्ष कलक्टर
(SDO) सेडवा

राजस्व वाद संख्या 35/2019
उनवान- ठाकरा वगैरा बनाम जगराम वगैरा

1/4 हि. कौम विशनोई सा. देह खातेदार रहन ठाकरा का हि. भूमि विकास बैंक बालोतरा, देरामा पुत्र रतना हि. 1/4 कौम विशनोई सा. देह खातेदार, पुरखाराम पुत्र माला हि. 1/6 कौम विशनोई सा. देह खातेदार					
--	--	--	--	--	--

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025 की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे में अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपर्युक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्ठा में तरमीम करने एवं पृथक् पृथक् खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.09.2025 को जारी की गई।



10.09.2025
(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधीन (300) सेड़वा

वाद के खर्चे

मुद्दाई	रुपया	दि.	मुद्दालय	रुपया	दि.
स्टाम्प अधीनदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प संबुत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुताफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजी महानताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुताफरिक		
			मीजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे विकरी के जरिये दिलावे।



राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 583

दिनांक:- 08-07-2025

उपखण्ड
सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

प्रेषिती:-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सेड़वा।

विषय:- राजस्व वाद संख्या 35/2019 अनवान ठाकराराम बनाम पुरखाराम वगैरा अन्तर्गत
आरटी एक्ट धारा 53, 188 के विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत।
प्रसंग - श्रीमान के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/388 दिनांक 26.06.2025 के सदर्थ में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी महोदय सेड़वा के राजस्व वाद संख्या 35/2019 अनवान ठाकराराम बनाम पुरखाराम वगैरा में मौजा बाधनिया के खसरा नम्बर 497, 417, 419, 463, 464, 470, 480, 494, 653/471 कुल रकबा 54.6891 हेक्टेयर व ग्राम रामावली के खसरा संख्या 354/244 रकबा 1.3840 हेक्टेयर का अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटी एक्ट में विभाजन प्रस्ताव हेतु श्रीमान द्वारा मौके की विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट चाही थी। जिसकी अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 03.07.2025 को मौके जांचकर कब्जा काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव इस पत्र के संलग्न श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न- विभाजन प्रस्ताव- (वर्क-7)

शतधिया

(पन्नारा 880/2025)
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

प्रद. सं. 28
जा. वि. का. सं. 100/2022


में पत्नाराम चौधरी तहसीलदार सेइवा माननीय न्यायाधीश सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी सेइवा के आदेश क्रमांक/रीडर/2022/2218 दिनांक 07/11/2022 की पालना में श्रमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 03/07/2025 समय 10.00 वाग बजे शपथकार मण्डल जंगमरा के राजस्व ग्राम बांछनिया के खसरा संख्या 397, 417, 419, 463 464, 470, 480 व 494 एवं पत्नार मण्डल चिचडासर के राजस्व ग्राम-समावली के खसरा संख्या 354/244 का मौका जांच हेतु हमराह श्री कमलेश निरीक्षक फागलिमाई श्री कमलेश निरीक्षक सेइवा व हल्का पत्नारी गंगासरा के साथ मौके पर पहुंचा।

माननीय न्याया. सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी सेइवा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 35/2019 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक/512-513 दिनांक 30/06/25 द्वारा जारी किए जा चुके हैं जिनकी तामिल विधिगत रूप से करवायी गई समस्त पक्षकारों में से निम्न पक्षकार उपस्थित थे।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	वादी/प्रतिवादी
1.	जगराम पुत्र मालाराम		बिश्नोई	प्रतिवादी
2.	पुरखाराम पुत्र मालाराम		— " —	— " —
3.	राजेश पुत्र जगराम		— " —	प्रतिवादी पुत्र
4.	लक्ष्मणामुत्र ठाकराराम		— " —	वादी पुत्र
5.	रामजीशण पुत्र ठाकराराम		— " —	— " —

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में श्रमि का मौका सुधायता किया गया एवं राजस्वानुसार काशरकारी अधिनियम +1955 के नियम 18-21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	उपजा (हे.)	दिलेख	का. सं.	अंश
1	ठाकराराम देराम पि. इरना बांछ त्रिबनोई सा. गंगासरा खातेदार	समावली	354/244	0.6920	का. सं.	0.21	दूरा
2	जगराम पुरखाराम पि. मालाराम खेत पत्नी मालाराम देव त्रिबनोई सा. गंगासरा खातेदार	समावली	354/244 में से	0.6920 हे.	का. सं.	0.21	कमानी


T. S. Gangasara

03/07/25
तहसीलदार (पु.अ.) सेइवा


210/...

नाम खातेदार

नाम खातेदार	ग्राम	खेती का क्षेत्रफल (घ.सं.)	बंका
ठाकुरा पुत्र रत्ना 1/2 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार रहन - 5885 गा.का धोरीमना देरामा पुत्र रत्ना 1/2 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार रहन - BCCB गा.का धोरीमना	बाधानिया	497 15.4161 1 15.4161 बाली	हरा B
2 जगराम पुत्र मालाराम 48100/173391 रं. कंम विद्यनोई खेतुदेवी पत्नी मालाराम 48100/173391 रं. कंम विद्यनोई पुरखा पुत्र मालाराम 73191/173391 रं. कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार	बाधानिया	497 17.3391 बा.सो. 1 17.3391 -	हरा B
3 ठाकुरा पुत्र रत्ना रं. 1/2 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार देरामा पुत्र रत्ना रं. 1/2 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार	बाधानिया	419 0.5989 बा.सं. 463 0.0809 जं.सु. 464 8.00 बा.सं. 470 0.41 बा.सं. 480 2.5500 बा.सं. 494 0.2428 बा.सं.	हरा E
4 जगराम पुत्र माला 1/3 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार पुरखाराम पुत्र माला 1/3 रं. कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार खेतुदेवी पत्नी माला 1/3 रं. कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार	बाधानिया	6 11.8826 417 0.1457 बा.सं. 470 0.4237 " 653 0.4371 " 471 8.05 " 480 0.8838 बा.सं.	हरा E
5 खेतुदेवी पत्नी माला 1/6 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार जगराम पुत्र माला 1/6 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार ठाकुरा पुत्र रत्ना 1/4 रं. कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार रहन - ठाकुरा का रं. भूमि विभाग बं. बा.लो.रा. देवामा पुत्र रत्ना रं. 1/4 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार पुरखा राम पुत्र माला रं. 1/6 कंम विद्यनोई सा.देर खातेदार	बाधानिया	5 9.9463 464 0.1050 बा.सं.	हरा E


मैलागवळी में (उत्साहित विभाण) बंका हरा रंग में र्शनी 2 मि 44
वादीगल का कलजाकार रहवाही र्शियां एवं बंरंग के लरिपु रंग में
दरामी भूमिपर उरिवादीगलो का कलजाकार, रहवाही हाजीया है


03/03/25

03/03/25

P.T.O

कलजाकार (पु.अ.) संडवा


14R

पक्षी को

सहायक कलक्टर
श्री (S.D.O) सेड़वा
मौल बरानो

विभाजन प्रत्याग मौके पर उपाखित पक्षकारों को पढकर सुनाये गये। मौके पर उपाखित पक्षकारों ने पढ सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार इत्याक्षर लिखे -

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/प्रतिवादी
1	राजेश	श्री अगाराम	बिड़नेई		प्रतिवादी
2.					
3.					
4.					

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रत्याग पद सुनकर समझ कर इत्याक्षर करने से इनकार कर दिया :-

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	जाति	वादी/प्रतिवादी
1	अगाराम	श्री मालाराम	बिड़नेई	प्रतिवादी
2	प्रखाराम	श्री मालाराम	-	"

मौके पर उपस्थित मौल बरानो को भी उक्त विभाजन प्रत्याग पढकर सुनाये गये और निम्न प्रकार इत्याक्षर करवाये गये -

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	जाति	पता

— N —

इस प्रकार आज दिनांक 03/07/2025 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

हमाकर
परवादी इ०
गंगाक्षर

03/07/25
श्री. श्री. निरीक्षक
इ.र. फागलिपा

श्री. श्री. निरीक्षक
इ.र. सोनड़ी

03/07/25
तहसीलदार
श्री. श्री. (स. अ.) सेड़वा

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि)

दिनांक : 30/06/2025 04:40:10 PM

जिल्ला

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

गंगासरा


ग्राम : बांधनिया

राजत्व आवेदन संख्या 35/2019 अनुसार
ठाकुराराम कौरह के नाम जमाबंदी करवाई गई

विमान प्रमाण (उस्ताकित)



सहायक कलेक्टर
(S.D.O) सेडवा



संकेत :-

जगराम कौरह की भूमि (पतिगदी)

ठाकुराराम कौरह की भूमि (पत्नी)

Scale 1:1000

शामलारी रास्ता प्रयोजनार्थी भूमि

खसरा संख्या : 464 क्षेत्रफल : 16.1550 Hectare खाता संख्या : 44 पुराना खाता संख्या : 49

भूमि विकास [क्षेत्रफल लगान] : बा.अव्वल [16.1550, 9.05]

- 1.) अंतुदेवी घनि माला हिस्सा- 1/6 जाति- विशोई सा. देह खातेदार
- 2.) जगराम मध माला हिस्सा- 1/6 जाति- विशोई सा. देह खातेदार
- 3.) जगराम पुन रत्ना हिस्सा- 1/4 जाति- विशोई सा. देह खातेदार हिस्सा- 1/4 (खसरा सं- 464) भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
- 4.) जगराम पुन रत्ना हिस्सा- 1/4 जाति- विशोई सा. देह खातेदार
- 5.) जगराम पुन माला हिस्सा- 1/6 जाति- विशोई सा. देह खातेदार

[Signature]
सहायक कलेक्टर

03/07/25
148 फागलिया

03/07/25
तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील


[Signature]
तहसीलदार

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. पांचवियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

श्रीराम ठाकुर

जोगल बांध जगराम बांध में विभाजित

प्रस्ता (प्रस्ताविका)



कच्चे
वादी की जमी
482
प्रतिकी की जमी

Scale 1:500

युद्ध कांड
सहायक मालक्टर
BDO, सेड़वा

खसरा नं. 35/2019 का क्षेत्रफल 0.8337 Hectare खाता संख्या : 44 पुराना खाता संख्या : 49

भूमि का क्षेत्रफल (मौज) : बा.अव्वल [0.8337, 0.47]

- 1.) मन्सूराम पुत्र माला हिस्सा- 1/6 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 2.) जगल पुत्र माला हिस्सा- 1/6 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 3.) ठाकुर पुत्र रतना हिस्सा- 1/4 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (खसरा सं- 464) भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
- 4.) देवमा पुत्र रतना हिस्सा- 1/4 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 5.) मन्सूराम पुत्र माला हिस्सा- 1/6 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार

(Signature)
सहायक मालक्टर

03/07/25
148 फागलिया

(Signature)
03/07/25
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

(Signature)
सहायक मालक्टर

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. जांच/एचों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA


खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि)

दिनांक : 30/06/2025 04:39:13 PM

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

ग्राम : बांधनिया



यु.अ. नि. क्षेत्र

काल

हिस्सा/496

फगलिया काल

इकसलिया काल

Scale 1:1000

खसरा नम्बर : 497 क्षेत्रफल : 32.7552 Hectare खाता संख्या : 43 पुराना खाता संख्या : 99
 भूमि का उपयोग [कृषि] : बा.सोपम [32.7552, 6.22]

- 1.) खनुदेवी पत्नी माला हिस्सा- 1684/12141 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 2.) जामराम पुत्र माला हिस्सा- 1684/12141 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार
- 3.) डाकरा पुत्र रतना हिस्सा- 2023/8094 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार हिस्सा-2023/8094 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा धोरीमन्ना
- 4.) डरामा पुत्र रतना हिस्सा- 2023/8094 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार हिस्सा-2023/8094 (पूर्ण खाता) BCCB शाखा धोरीमन्ना
- 5.) पूरखा पुत्र माला हिस्सा- 2704/12141 जाति- विश्रोई सा. देह खातेदार हिस्सा-2704/12141 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सीठवा

[Signature]
ज. अ. नि. क्षेत्र

[Signature]
ज. अ. नि. क्षेत्र

[Signature]
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर (यु.अ.) सेडवा

- नोट :
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. शिकायतों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 03/07/23

जिल्हा : चिचडासर

तहसील : सेडवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : सोनडी

गा. नं. : चिचडासर

ग्राम : समावली



संकेत :-

जगराम वगैरह की शर्ति

ठाकराराम वगैरह की शर्ति

Scale 1:500

उपरोक्त

सहायक कलक्टर
(SDO) सेडवा

खसरा संख्या : 38 पुराना खाता संख्या : 40
भूमि किस्म (क्षेत्रफल लगान) : बा.दोयम [1.3840, 0.43]

- 1.) खेतु पत्नि मालाराम हिस्सा- 1/6 जाति- विश्रोई सा. गंगासरा खातेदार
- 2.) जगराम पुत्र मालाराम हिस्सा- 1/6 जाति- विश्रोई सा. गंगासरा खातेदार
- 3.) ठाकरा पुत्र रतना हिस्सा- 1/4 जाति- विश्रोई सा. गंगासरा खातेदार
- 4.) देरामा पुत्र रतना हिस्सा- 1/4 जाति- विश्रोई सा. गंगासरा खातेदार
- 5.) पुरखाराम पुत्र मालाराम हिस्सा- 1/6 जाति- विश्रोई सा. गंगासरा खातेदार

जगराम

03/07/23
सहायक कलक्टर (सु.अ.) सेडवा
सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।